न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/436

मिसल नम्बर– 107 / 2024

1.चतुर्भुज पुत्र स्व0 श्री गोपी लाल, उम्र 61 वर्ष, जाति मेघवाल

2.श्रीमती सुगना बाई पत्नी श्री चतुर्भुज, उम्र 58 वर्ष, जाति मेघवाल निवासीगण माला फाटक, महात्मा गांधी कालोनी, गली नं0 9 थाना रेल्वे कोलोनी कोटा शहर, कोटा राज0

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजकुमार पुत्र श्री चतुर्भुज उम्र 35 साल

2.अनीता कुमारी पत्नी राजकुमार, उम्र 30 साल जाति मेघवाल निवासीगण माला फाटक, महात्मा गांधी कॉलोनी, गली नं0 9 थाना रेल्वे कॉलोनी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 17/7/25

उपस्थिति:–

1.श्री आलोक जोहरी अधिवक्ता प्रार्थीगण।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कम 1 व 2 दोनो ही वरिष्ठ नागरिक है दोनो वृद्ध है और अधिकांश बीमार रहते है, अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के बेटा–बहू है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मकान / भूखण्ड सं. 6 साईज 15 इन्टू 30 वर्ग फुट वाके ग्राम खारी बावडी मजरा बोरखेडा थाना रेलवे कोलोनी तह० लाडपुरा शहर कोटा स्थित में जो की प्रार्थी कर्म–1 को अपने पारिवारिक बंटवारे से प्राप्त हुआ है जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अपनी कडी मेहनत से जीवनकाल में मेहनत मजदूरी कर अर्जित आय से उक्त मकान मे आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य करवाया गया, जिसमें प्रार्थीगण–अप्रार्थीगण निवासरत है, प्रार्थीगण का छोटा बेटा भी प्रार्थीगण के साथ ही निवास करता है जो अविवाहित है। प्रार्थीगण ने अपने पुत्र अप्रार्थी न० 1 का विवाह अप्रार्थिया कम 2 अनीता कुमारी के साथ काफी पैसा लगाकर सम्पन्न करवाया विवाह के कुछ समय बाद से ही अप्रार्थीगण का व्यवहार प्रार्थीगण के साथ कठोर होने लगा, आये दिन परिवार का माहोल लडाई झगडा कर करने लगे, और गृह कलेश पैदा किया जाने लगा, प्रार्थीगण व उसके अविवाहित पुत्र को भोजन बनाकर देना भी बंद कर दिया गया और लडाई झगडा कर अप्रार्थिया कम–2 द्वारा प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड .... अधिकारी

विरूध दिनांक 09.05.2019 को महिला पूलिस थाना कोटा शहर में दहेज से संबंधित झूंठा मुकदमादर्ज करवाया गया, बाद समझाईश अप्रार्थिया क्रम–2 समझौता इकरार नामा आलेखित कर राजीनामा कर लिया गया और पूनः प्रार्थीगण के साथ प्रार्थीगण के मकान में अप्रार्थीगण निवास करने लग गये। समझाईश व राजीनामा के बाद अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के जीवन में पुनः क्लेश पैदा करने लग गये, आये दिन गाली गलोच कर झगडा करते हुये यहां तक की मारपीट करने को आमादा हो जाते है, तथा खाना देना भी बंद कर दिया, परिसर में लेट्रीन–बाथरूम का उपयोग करने, मकान की छत पर जाने को मना किया जाने लगा,प्रार्थीगण को मजबूरन बाहर सरकारी शोचालय की सुविधा लेने को मजबूर हैं । प्रार्थीगण वृद्ध होने के कारण अपनी देनिक गतिविधियां नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वयं के मकान में अप्रार्थीगण के मारे डर डर के रहने को मजबूर हो रहें हैं जबकि सम्पूर्ण मकान प्रार्थी कम–1की मेहनत मजदूरी से कमाया गया पैसो से बनाया गया हैं। अप्रर्थिया कम–2 प्रार्थीगण को अभी भी झूंठे मुकदमो में फसाने में लगी रहती है और दहेज के झूंठ मुकदमो में फंसाने की धमकीयां देते है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ उपरोक्तानुसार किये गये अत्याचार, कूरतापूर्ण व्यवहार को लेकर पुलिस थाना में शिकायते दी गई लेकिन अप्रार्थीगण के विरूद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को घर से बाहर निकाले जाने के प्रयास मे रहते है उनका यही एक मकसद है कि प्रार्थीगण को आये दिन तरह तरह के कष्टो के साथ इतना ततंग व परेशान कर दे की वो स्वयं ही मकान छोड कर चले जावे और पूरे मकान पर स्वयं अप्रार्थीगण का एक छत्र राज हो जावे, अकेला मालिक हो जावे। प्रार्थीगण बुजर्ग है तथा बीमार रहने के कारण और अधिक काम नहीं कर सकते, जिससे प्रार्थीगण द्वारा स्वयं का घर खर्च वहन करने मे असमर्थ रहने लगे, स्वयं के भरण पोषण व हारी बीमारी मे दवाईयां लाने व ईलाज करवाने में आसहाय हो गये हैं स्वयं की आजीविका चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है आय का कोई जरिया नहीं है और अप्रार्थीगण के द्वारा भी उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहें है भरण पोषण के लिये, हारीबीमारी के समय ईलाज करवाने, दवाईयां आदि की व्यवस्था के लिये भी कोई पैसा नहीं देते है नल–बिजली के बिलो का भुगतान भी नहीं कर सकते है ऐसे में प्रार्थीगण चाहते है कि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल करवाये और फिर मकान में किरायेदार रख सके, ताकी प्राप्त किराया राशि से अपनी आजीविका चलाने के लिये भरण पोषण आदि की व्यवस्था बना सके, जबकि इन सब व्यवस्थाओ को पूरा करने के लिये अप्रार्थीगण पूर्णतया सक्षम है। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध बेदखल करने का आदेश पारित नहीं किया गया, उनसे भरण पोषण की व्यवस्था नहीं करवाई गई तो प्रार्थीगण के समक्ष आजीविका चलाने आदि आदि की समस्यायें पेदा हो जावेगी इसलिये न्यायहित मे यह आवश्यक हो गया कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के मकान से बेदखल किया जावे। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की जाती है कि अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थी न० 1 के मकान को खाली कर प्रार्थीगण को संभलायें, और प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उनकी जीविकापार्जन व चिकित्सा, कपडे आदि आदि के लिये 10,000/–रूपये प्रति माह प्रार्थना पत्र पेश करने की तारीख से प्रार्थीगण के जीवित रहते समय तक अदा करे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थिति होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से प्रमाणित है कि अप्रार्थी कम 2 द्वारा महिला थाना कोटा में वादीगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जो राजीनामा के आधार पर निस्तारित करवा दिया था। यदि अप्रार्थी, प्रार्थीगण से पीड़ित है तो उन्हे स्वयं मकान खाली कर देना चाहिए। बावजूद सूचना अप्रार्थीगण का उपस्थित ना होना प्रमाणित करता है कि उनमें ना तो कानून के प्रति सम्मान है और ना ही कानून पालना की इच्छा। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मकान माला फाटक, महात्मा गांधी कालोनी, गली नं0 9 थाना रेल्वे कोलोनी कोटा शहर, से बेदखल किया जाता है। यदि अप्रार्थीगण उक्त मकान में निवास करना चाहते है तो प्रार्थीगण की सहमति उपरान्त ही रह सकेंगे तथा 5000/– मकान किराये के रूप में प्रार्थीगण को उपलब्ध करायेगें तथा प्रार्थीगण के जीवन यापन में किसी भी प्रकार की बाधा उप्तन्न नहीं करेंगे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 17/7/25 ..... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा